FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर खण्डेला (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर खण्डेला (सीकर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

उनवान ......अशोक......... बनाम ......सरकार...... सन् 2019

मुकदमा नं. 46

किस्म मुकदमा ...प्रार्थना पत्र 136 LRAct...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/10/19	प्रार्थी की ओर से वकील श्री किशन कुमार शर्मा ने प्रार्थना पत्र 136 LRAct पेश किया। रिपोर्ट तहसील की गयी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी / अप्रार्थी सं० 1 को जरिये सम्मन तलब किया जाकर [illegible] 15.11.19 को पेश हो।	
	15/11/19 वकील प्रार्थी हाजिर / बहस वादपत्र पर सुनी गयी / दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि कृषि भूमि ख०न० 32, 51, 51/301 कुल किता-3 कुल रकबा 3.3600 हे० वाके ग्राम माधोका बास पटवार हल्का भादवाड़ी तह० खण्डेला के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का गलत नाम श्योलदास पुत्र महादेवदास हिस्सा 1/12 दर्ज है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम श्योपालदास है। जिनकी जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 में प्रार्थी के पिता का नाम श्योपालदास	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	पुत्र महादेव दास दर्ज है। अतः पुरानी जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 के अनुसार है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर प्रार्थी के पिता का नाम श्योलदास के स्थान पर श्योपालदास दुरूस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे। हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पुरानी जमाबन्दी संवत 2065 ता 2068 में प्रार्थी के पिता का नाम श्योपालदास पुत्र महादेव दास ही दर्ज है बाद में सहवन से श्योलदास दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थी का वाद पत्र स्वीकार योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार खण्डेला को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में "श्योलदास पुत्र महादेव दास" के स्थान पर "श्योपालदास पुत्र महादेव" दुरूस्त किया जावे। तहरीर वास्ते दुरूस्ती तहसीलदार खण्डेला को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (रणजीत सिंह) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner